शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

# जिला षिक्षा केन्द्र, सर्व षिक्षा अभियान, देवास

क्र./जिशिके/स्था./2019/992 देवास, दिनांक 26.11.2019

## आउटसोर्सिंग के आधार पर उच्च कुषल, कुषल एवं अर्द्धकुषल सेवाएं लेने हेतु एजेन्सी का खुली निविदा के माध्यम से चयन

## निविदा प्रपत्र

1. जिला षिक्षा केन्द्र कार्यालय में उच्च कुषल, कुषल, अर्द्धकुषल मेनपावर की विविध कार्यों के सम्पादन हेतु अनुभवी आउटसोर्सिंग सर्विसेस एजेंसियों से द्वि–निविदा प्रणाली में एक वर्ष की अवधि के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :–

| कार्य का नाम | धरोहर राशि | विस्तृत निविदा प्रपत्र क्रय करने की अवधि | भरी हुई निविदा प्रदाय एवं खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|
| उच्च कुषल/ /अर्द्धकुषल/अकुषल सेवाएं प्रदाय करने हेतु। | 75000.00 | 19.12.2019 | भरी हुई निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.12.2019 अपरान्ह 03:30 बजे तक |

2. विस्तृत निविदा प्रपत्र दिनांक दिनांक 12.12.2019 तक जिला षिक्षा केन्द्र, देवास से राषि रूपये 500/– का भूगतान कर क्रय किये जा सकते हैं।

3. सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निवदायें भरने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, शर्तें एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही निविदा भरकर जमा करें। निविदा के साथ जमा किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज को संलग्न चेकलिस्ट से भी मिलान कर लें।

4. निविदा प्रपत्र भरने के सामान्य निर्देष :–

4.1 निविदा दो प्रस्ताव (बिड) प्रणाली सिस्टम में भरी जायेगी :–

- तकनीकी प्रस्ताव
- वित्तीय प्रस्ताव

4.1.1 एजेन्सी द्वारा दोनों प्रस्ताव पृथक–पृथक छोटे लिफाफों में सील कर एक साथ एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर जिला षिक्षा केन्द्र में जमा किये जायेंगे। जिस लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन लिफाफों में स्पष्ट रूप से ''तकनीकी प्रस्ताव'' एवं ''वित्तीय प्रस्ताव'' उल्लेखित किया जावें।

4.2 तकनीकी प्रस्ताव :–

4.2.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र ''अ'' को पूर्ण कर (प्रपत्र–1 (भाग–1, भाग–2) प्रपत्र–2, प्रपत्र–3, प्रपत्र–4 भरकर प्रस्तुत करना होगा।

4.2.2 बिड के साथ धरोहर राषि के रूप में रूपये 75000/– का बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉफ्ट्स जो कि जिला षिक्षा केन्द्र देवास के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।

4.2.3 कण्डिका 5 के अंतर्गत वर्णित पात्रता शर्तों अनुसार प्रपत्र 1 भाग 2 अनुसार उल्लेखित सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

4.2.4 तकनीकी बिड जिला षिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित तकनीकी बिड फार्म भरकर चाहे गये समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र कण्डिका 4.1.1 एवं 4.2.2 अनुसार दिनांक 20.12.2019 को समय 03.30 बजे तक जिला षिक्षा केन्द्र कार्यालय में जमा कराना होगा।

4.3 वित्तीय प्रस्ताव :–

4.3.1 वित्तीय प्रस्ताव में निविदाकार संस्था सेवाएं प्रदाय करने हेतु उपलब्ध कराये गये मेन पॉवर के कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्युनतम पारिश्रमिक (जो लागू हो) पर सेवा शुल्क की दर प्रस्तावित करेगी। (निर्धारित प्रपत्र ब)

4.3.2 सेवा शुल्क की दर की गणना पारिश्रमिक के प्रतिषत रूप के रूप में की जावेगी अन्यथा कि स्थिति में कोई दर स्वीकार्य नहीं होगी।

4.3.3 सेवा दर सामान रूप से सभी श्रेणी की सेवाओं पर लागू होगी।

4.3.4 संस्था द्वारा वित्तीय प्रस्ताव के लेटर हेड में शील बन्द लिफाफे में स्वीकार्य योग्य होगा। वित्तीय बिड दिनांक 20.12.2019 को समय 03.30 बजे तक जिला षिक्षा केन्द्र कार्यालय में जमा कराना होगा।

4.4 निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग/काट–छाट होने पर निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी। सषर्त अथवा अधूरे भरे हुए निविदा प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

4.5 दिनांक 20.12.2019 को समय 04.00 बजे जिला षिक्षा केन्द्र के द्वारा गठित समिति के समक्ष समस्त तकनीकी बिड खोले जायेंगे एवं गठित समिति के परीक्षण उपरान्त उनकी अनुषंसा के आधार पर योग्य पाए जाने वाले निविदा संस्था की वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि पृथक से तय की जायेगी। जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों को ई–मेल/दूरभाष/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जायेगी।

4.6 कलेक्टर एवं मिषन संचालक, जिला षिक्षा केन्द्र देवास के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा या इसके किसी अंष को या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सकें।

5. निविदा हेतु पात्रता की आवष्यक अर्हता / षर्तें :–

5.1 शासकीय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तषासी उपक्रम एवं मध्यप्रदेष शासन के संबंधित विभाग / वैधानिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत, प्रोप्रायटरी, पार्टनरषिप, कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत / लाईसेन्स प्राप्त निविदाकार आउटसोर्स एजेंसी ही उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

5.2 निविदाकार एजेंसी का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर न्युनतम 50 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए जिसकी पुष्टि हेतु सी.ए. का प्रमाण पत्र एवं संबंधित आवष्यक दस्तावेज (सत्यापित प्रतियों सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.3 अनुभव :–

निविदाकार एजेंसी का विगत तीन वर्षों का कार्यानुभव होना अनिवार्य है एवं इन तीन वर्षों में किसी भी एक वर्ष का शासकीय / अर्द्धषासकीय / निगम मण्डल कार्यालयों में उच्च कुषल / / अर्द्धकुषल / अकुषल सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्यादेष संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.4 निविदाकर्ता एजेंसी को पूर्व में किसी भी शासकीय / अर्द्धषासकीय / निगम / मण्डल कार्यालयों का ब्लेकलिस्टेड अथवा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आषय का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

5.5 संबंधित पेनकार्ड की छायाप्रति।

5.6 ईपीएफ पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र विगत छः माह के चालान एवं ई.सी.आर. (Electronic challan cum return) फाईल्स जो कि ऑनलाईन जनरेट किये गये हों।

5.7 ई.एस.आई.सी. पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र एवं विगत छः माहों के चालान तथा अंतिम ऑनलाईन जमा रिटर्न की प्रति।

5.8 विगत तीन वर्षों की (वित्तीय 2015–16, 16–17, एवं 17–18) आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो, कि छायाप्रति।

5.9 श्रम कानूनों के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने संबंधी निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र।

5.10 निविदाकार संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रस्तुत् की गई सेवाकर विवरणी की छायाप्रति।

5.11 श्रम न्यायालय मण्डल को विगत वर्ष जमा किये गये सेवा शुल्क का विवरण।

5.12 बिड के साथ निविदाकार एजेंसी के सक्षम अधकारी द्वारा एजेंसी पदमुद्रा सहित सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगा। सत्यापित प्रतिलिपियाँ असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी परफोर्मेंस की गांरटी, धरोहर राशि राजशात की जाकर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

5.13 निविदा के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची/चेकलिस्ट (प्रपत्र 1 भाग 2) अनुसार होगा।

5.14 संलग्न दस्तावेज चेकलिस्ट (प्रपत्र 1) अनुसार समस्त अर्हता पाये जाने पर ही संबंधित ऐजेंसी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

5.15 निविदा प्रपत्र सफल निविदाकार से अनुबंध का एक भाग होगा एवं इसकी समस्त शर्तें अनुबंध में शामिल मानी जायेगी।

5.16 प्राप्त प्रास्तावों के मूल्यांकन को सरल तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु जिला शिक्षा केन्द्र निविदाकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में स्पष्टीकरण मान सकता है। निविदाकर्ताओं को स्पष्टीकरण से संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा में लिखित रूप से जिला शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराना होगा।

5.17 यदि कोई निविदाकार निविदा के संबंध में 5.16 अनुसार स्पष्टीकरण का जवाब समय सीमा में लिखित में नहीं देता है तो उनकी निविदा को निरस्त किया जा सकेगा। यदि जिला शिक्षा केन्द्र निविदा को निरस्त नहीं करते हुए बेहतर समझ के साथ स्पष्टीकरण के संबंध में कोई अर्थ या अभिप्राय निर्धारित करते हुए निविदा को मूल्यांकन के लिए शामिल करता है तो बाद में स्पष्टीकरण के अभिप्राय के सबंध में निविदाकार का कोई प्रश्न जिला शिक्षा केन्द्र को मान्य नहीं होगा।

6. सफल निविदाकार/संस्था के लिए सेवा शर्तें :-

सफल निविदाकारों को वर्ष में होने वाले कार्य के कुल अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत राशि परफोर्मेन्स गारंटी के रूप में धरोहर राशि का समायोजन करते हुए शोष राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र देवास के नाम देय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रॉच स्टेशन रोड देवास में देय होगा के रूप में जमा करनी होगी। यह अनुबंध की अवधि की समाप्ति के 180 दिन के बाद तक की अवधि या जब तक की उसके लंबित बिलों का निपटान नहीं हो जाता है तब तक के लिए जिला शिक्षा केन्द्र देवास के पास जमा रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदाकार संस्था के मेनपॉवर द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र की सामग्री के नुक्सान, क्षति, दुरूपयोग होने की स्थिति में हर्जानापूर्ति जिला शिक्षा केन्द्र के हित में इसी धरोहर राशि से की जावेगी।

6.2 सफल निविदाकार को उसकी निविदा मान्य किये जाने का आदेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में जिला शिक्षा केन्द्र के साथ अनुबंध करते हुए परफोर्मेन्स गारंटी जमा कर अधिकतम 15 दिवस की समय सीमा में मेनपावर उपलब्ध कराना होगा। अनुबंध स्टॉम्प आदि पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा व्यय किया जावेगा।

6.3 संस्था द्वारा प्रदाय किये गये मेनपॉवर को कलेक्टर देवास द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्युनतम पारिश्रमिक की दर का भुगतान किया जायेगा। संस्था द्वारा प्रतिमाह जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत देयक में अदा किये गये पारिश्रमिक का विवरण देना होगा।

6.4 सफल निविदाकार श्रमिकों से संबंधित एवं प्रभावशील सभी श्रम नियमों का पालन करेगा एवं समस्त वैधानों की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से करना होगा एवं जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

6.5 जिला शिक्षा केन्द्र सेवाओं की आवश्यकता के आधार पर कार्य की प्रकृति अनुसार एजेंसी को सेवा उपलब्ध कराने हेतु मेनपावर की मांग करेगी तत् पश्चात् एजेंसी अधिकतम 15 दिवस के भीतर मेनपावर का पेनल जिला शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध करायेगा। जिसमें से जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा उपर्युक्त व्यक्ति का चयन करेगा।

6.6 जिला शिक्षा केन्द्र के आवश्यकता एवं निर्देशानुसार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य का संपादन न किये जाने पर जिला शिक्षा केन्द्र किसी अन्य प्राधिकृत संस्था से कार्य का संपादन तत्कालिक रूप से कराने को स्वतत्र होगी। परन्तु ऐसी व्यवस्था में होने वाले व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व सफल निविदाकार का होगा। जो कि उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से वसूली योग्य होगा।

6.7 कार्य पर रखे गये अपने समस्त मेनपावर की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सभी वैधानिक उपयाय एजेंसी द्वारा ही सुनिश्चित किये जावेंगं। जिला शिक्षा केन्द्र का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6.8 यह निविदाकार्य कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिए (12 माह) के लिए मान्य होगा। एजेंसी का कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति का कार्यकाल पूर्ण अनुबंधित दरों पर दोनो पक्षों की सहमति से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

6.9 एजेंसी द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तों का उल्लंघन किया जाना साबित होने पर अथवा एजेंसी के मेनपावर द्वारा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा संस्था पर निम्न कार्यवाही की जा सकेगी :–

1. रूपये 2000/–से अधिकतम रू. 10000/– तक का क्षतिपूर्ति का प्रतित्रुटि का अधिरोपण।

2. संस्था को संबंधित कर्मचारी को सेवा से हटाने हेतु निर्देश दिये जाना।

3. निविदा निरस्त करना तथा परफोर्मेन्स गारंटी राजसात करना।

6.10 यह एजेंसी यह कार्य अनुबंध एवं निविदा के अनुसार स्वयं करने हेतु बाध्य है एवं किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/उप ठेकेदार/संगठन को नहीं दे सकेगा अन्यथा इसे कण्डिका 6.9 के अनुसार कार्यवाही करते हुए साथ ही इसकी परफोर्मेन्स गारंटी राजसात कर ली जायेगी।

6.11 श्रम कल्याण मण्डल को दिये जाने वाला सेवा शुल्क सफल निविदाकार/एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित सेवा शुल्क की दरों में शामिल होगा। पृथक से इस हेतु कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

6.12 सफल निविदाकार/एजेंसी को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईए.एस. विभाग से नियमानुसार सावधिक निरीक्षण करवाना होगा एवं निरीक्षण का प्रतिवेदन जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत् करना होगा।

7. भुगतान प्रक्रिया :–

7.1 एजेंसी के मेनपावर को अदा किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान एजेंसी द्वारा संबंधित के खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।

7.2 एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मेन पावर की उपस्थिति जिला शिक्षा केन्द्र प्रतिमाह 3 तारीख तक प्रेषित करेगी। जिसके आधार पर एजेंसी को प्रतिमाह 5 तारीख तक अपने मेनपावर का पारिश्रमिक भुगतान करना अनिवार्य होगा।

7.3 एजेंसी द्वारा अपने समस्त मेनपावर को मासिक पारिश्रमिक/अन्य दायित्व, समस्त भुगतान किये जाने के उपरान्त एजेंसी द्वारा अपना मासिक देयक प्रतिमाह की 10 तारीख तक जिला शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि एजेंसी शासन के नियमानुसार पूर्ण जानकारी/वैधानिक कटौत्रा प्रतिव्यक्ति जमा नहीं करती है तो इस हेतु इसकी नियमानुसार संपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारी एजेंसी की ही होगी। एजेंसी द्वारा प्रतिमाह 10 तारीख तक प्रस्तुत करने वाले देयक के साथ नियमानुसार दस्तावेज संलग्न कर भुगतान हेतु जिला शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जावेगी। परीक्षण उपरान्त एजेंसी को भुगतान किया जावेगा।

7.4 जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा एजेंसी को प्रस्तुत देयक में से नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा।

7.5 एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिड निविदा प्रपत्र ब में उल्लेखित दरों के अतिरिक्त सेवा कर शासकीय नियमों के अनुसार जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा भुगतान किया जावेगा।

7.6 एजेंसी प्रतिमाह उपलब्ध कराये गए मैनपावर की जमा किया गया कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.सी.) अंषदान का विवरण प्रस्तुत देयक के साथ (जमा किये गये फार्म की प्रति एवं चालान की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए) प्रस्तुत करेगी।

7.7 एजेंसी प्रतिमाह उपलब्ध कराये गये मैनपावर की जमा की गई ई.पी.एफ. अंषदान के चालान की प्रति प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न करेगी।

7.8 एजेंसी प्रतिमाह सर्विस टैक्स जमा करने संबंधी विवरण की प्रति प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न करेगी जिसके आधार पर सर्विस टैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. समस्याओं का निराकरण :–

एजेंसी को जिला षिक्षा केन्द्र में कार्य करने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उसके समाधान के लिये कलेक्टर एवं मिषन संचालक से निर्देष प्राप्त करते हुए निर्देषानुसार आवष्यक कार्यवाही करेंगे।

9. जिला षिक्षा केन्द्र द्वारा चाहे गए मेनपावर :–

| क्र. | पद | योग्यता | अनुमानित संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | • किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिषत अंको सहित स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेषन में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा डीसीए / पीजीडीसीए / डीओईएससी प्रमाण पत्र।<br>• मेप आई.टी. व्दारा जारी सी.पी.सी.टी. (कम्प्यूटर हिन्दी+अंग्रेजी) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। | 10 उच्च कुषल |
| 2 | लिपिक | • किसी मान्यता बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10 2) की परीक्षा उर्त्तीण<br>• मेप आई.टी. व्दारा जारी सी.पी.सी.टी. (कम्प्यूटर हिन्दी+अंग्रेजी ) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।<br>• शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण को प्राथमिकता | 01 अर्द्ध कुषल |
| 3 | भृत्य | • कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण | 08 अकुषल |

10. विवाद का निपटारा :–

10.1 जिला षिक्षा केन्द्र में कार्य करने के लिए संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मैनपावर (व्यक्तियों) की पहचान तथा चरित्र का सत्यापन कराने का दायित्व संस्था पर होगा।

10.2 किसी अपरिहार्य या आकस्मिक कारण जैसे दैवीय आपात की स्थिति में एजेन्सी द्वारा नियोजित व्यक्ति को जिला षिक्षा केन्द्र में कार्य के दौरान हुई छति के लिये जिला षिक्षा केन्द्र का उत्तरदायित्व नहीं होगा। सामान्य स्थिति में नियोजित कर्मचारी के स्वास्थय एवं

उसकी सुरक्षा का दायित्व एंजेसी का होगा। कार्य के दौरान हुई छति के लिये ऐसे नियोजित व्यक्ति के प्रति जिला षिक्षा केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10.3 निविदा कार्य से संबंधित अनुबंध के अनुसार कार्य/उत्तरदायित्वों के निष्पादन में किसी भी तरह की समस्या अथवा विवाद, उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन परियोजना संचालक के समक्ष समाधान तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत् किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन परियोजना संचालक के निर्णय से असंतुट होने पर एजेन्सी को एक सप्ताह की समयावधि के अंदर अपना अभ्यावेदन कलेक्टर एवं मिषन संचालक के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत् करने का अधिकार होगा। ऐसे विवाद के संबंध में कलेक्टर मिषन संचालक देवास का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी तथा अंतिम होगा।

10.4 सभी विवादों के विचारण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, देवास होगा।

तकनीकी प्रस्ताव (बिड) (लिफाफा क्र.–1)

प्रपत्र–1 (भाग–1)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | फर्म / संस्था का नाम | |
| 2 | संचालक का नाम | |
| 3 | संस्था के कार्यालय की जानकारी | |
| A | पत्राचार का पता – | |
| B | दूरभाष नं. – | |
| C | फैक्स नं. – | |
| D | ई–मेल नं. – | |
| 4 | फर्म / संस्था के बैंक खाते के संबंध में जानकारी | |
| A | | |
| B | | |
| 5 | रजिस्ट्रेषन विवरण | |
| A | पैन नं. | |
| B | सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेषन नं. | |
| C | ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेषन नं. | |
| D | ई.एस.आई.रजिस्ट्रेषन नं. | |
| E | संस्था का पंजीयन नं. | |
| 6 | सुरक्षा निधि संबंधी जानकारी | |
| A | राशि | |
| B | डी.डी. / बैंकर्स चेक नं. एवं दिनांक | |
| C | बैंक का नाम | |
| D | बैधता दिनांक | |

| क्र. | विवरण | संलग्न है या नहीं | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | संलग्न धरोहर राषि बैंकर्स चैक/बैंक ड्रॉफ्ट | | |
| 2 | सर्विस टैक्स का वैध रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र | | |
| 3 | विगत तीन वर्षों (2016–17, 17–18, एवं 19–20) के अंकेक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांष जिसमें समान कार्य के टर्नओवर की राषि का प्रमाणीकरा चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया हो | | |
| 4 | निविदाकार एजेन्सी का विगत तीन वर्षों (2012–13, 13–14, एवं 14–15) का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है एवं इन तीन वर्षों में किसी भी एक वर्ष का शासकीय/अर्द्धषास./निगम/मण्डल कार्यालयों में उच्च कुषल, कुषल एवं अर्द्धकुषल की सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्यदेष संलग्न करना अनिवार्य है। | | |
| 5 | निविदाकर्ता एजेन्सी को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धषास./निगम/मण्डल कार्यालयों द्वारा ब्लेकलिस्टेड अथवा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आषय का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। | | |
| 6 | संबंधित पेनकार्ड की छायाप्रति | | |
| 7 | ई.पी.एफ. पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र विगत 6 माहो के चालान एवं ईसीआर (Electronic challan cum return) फाईल्स जो कि ऑनलाईन जनरेट किये गये हो। | | |
| 8 | ई.एस.आई.सी. पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र एवं विगत 6 माहों के चालान एवं अंतिम ऑनलाईन जमा रिटर्न की प्रति | | |
| 9 | विगत तीन वर्षों (2015–16, 16–17, एवं 17–18) की आयकर विवरण की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो कि छायाप्रति | | |
| 10 | श्रम काननों के अंतर्गत न्युनतम मजदूरी का भुगतान करने संबंधी निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | निविदाकार संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रस्तुत की गई सेवा विवरणी की छायाप्रति | | |
| 12 | श्रम कल्याण मंडल को विगत वर्ष जमा किये गये सेवा शुल्क का विवरण | | |
| 13 | तकनीकी प्रस्ताव (बिड प्रपत्र–1) | | |
| 14 | वित्तीय बिड अलग से सीट्ड लिफाफे में। (निर्धारित प्रपत्र–ब) | | |

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ..........................

स्थान ...........................

नाम : ...................................................

पदमुद्र : ...............................................

## निविदा के कार्यानुभव का विवरण प्रपत्र–1 (भाग–3)

| क्रमांक | प्रतिष्ठित संस्था का नाम, पूरा पता, दूरभाष नं. फैक्स नं. (जहॉ निविदाकार ने कार्य किया हो) | अनुबंध में श्रमिकों की संख्या | अनुबंध के अंतर्गत वर्ष में प्राप्त कुल भुगतान | अनुबंध की अवधि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दिनांक से | दिनांक तक | कुल अनुभव अवधि |
| | | | | dd/mm/yy | dd/mm/yy | year |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

नोट :– 1. अतिरिक्त जानकारी हेतु अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग करें।
2. सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ..........................

स्थान ..........................

नाम : ..................................................

पदमुद्रा : .............................................

प्रपत्र–2 (लिफाफा क्र.–1)

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 10/– के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।)

मैं..............................................................पुत्र/पुत्री.............................................उम्र.............................पता.........................
.............................................शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :–

1. मैं निविदाकर्ता संस्था..........................................................(फर्म/क्पनी/समिति का नाम) का ............................ (एकल स्वामी/साझेदार/संचालक/मैंनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता.............................................................है।
2. मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है।
3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए मेरे/मेरी संस्था के पास समस्त आवष्यक वैधानितक अनुज्ञप्तियाँ, पंजीकरण तथा स्वीकृतियाँ प्राप्त है।
4. मेरे/मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारिया पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे प्रस्तुत निविदा निरस्त किया जाना मान्य होगा तथा हमारे जमा की गई सुरक्षा निधि एवं परफॉरमेंस गारंटी जिला षिक्षा केन्द्र देवास द्वारा जप्त किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ..........................
स्थान ...........................

नाम : ..................................................
पदमुद्र : ..............................................

# <u>सत्यापन</u>

मैं निविदाकर्ता...............................(फर्म / कम्पनी / संस्था का नाम)...................................................................(एकल स्वामी / साझेदार / संचालक / मैनेजर / अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित क्र–1 से लेकर 4 तक किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विष्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रामाणिक है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ............................ नाम : ....................................................
स्थान ............................ पदमुद्रा : ....................................................

1. गवाह नाम पता ..........................................................
2. गवाह नाम पता ..........................................................

प्रपत्र–3 (लिफाफा क्र.–1)

घोषणा पत्र

(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं ............................................................................आत्मज ............................................................ मेनपावर के लिए जिला षिक्षा केन्द्र देवास में निविदाकार हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी संस्था द्वारा यदि जिला षिक्षा केन्द्र देवास में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून/नियम/विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ........................... नाम : ..................................................

स्थान ............................ पदमुद्रा : ..............................................

प्रपत्र–4 (लिफाफा क्र.–1)

(रू. 10/– के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीषियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ............................................................पता.............................................के विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत् आयकर विवरणियों की जॉच मेरे द्वारा की गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य का आवर्त (अर्नओवर) इस प्रकार है :–

| क्रमांक | वर्ष | राशि (शब्दों में) | राशि (अंकों) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-17 | | |
| 2 | 2017-18 | | |
| 3 | 2018-19 | | |

टीप :–शब्दों एवं अंकों में राषि में अंतर होने पर शब्दों की राषि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई है। जिसे जिला षिक्षा केन्द्र देवास की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में मैं प्रमाणित करता हूँ।

चार्तरित लेखाकार का नाम ................................

दिनांक ........................... नाम : ...................................................

स्थान ............................ पदमुद्रा : ...............................................

वित्तीय बिड (लिफाफा क्र.–2)

निविदा प्रपत्र–ब–1

| क्र. | श्रेणी | कलेक्टर दर / पारिश्रमिक | ई.पी.एफ. | ई.एस.आई | कलेक्टर दर / पारिश्रमिक पर एजेन्सी का सर्विस चार्ज | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (उच्च कुषल) | | | | | |
| 2 | लिपिक अर्द्वकुषल | | | | | |
| 3 | भृत्य अकुषल | | | | | |

# (तकनीकी निविदा का प्रस्तुतीकरण)

प्रपत्र ''अ''

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला षिक्षा केन्द्र देवास,

विषय :–जिला षिक्षा केन्द्र कार्यालय में उच्च कुषल मेनपावर की विविध कार्यों के सम्पादन हेतु अनुभवी आउटसोर्सिंक सर्विसेस के लिए कर्मचारीवृंद का परिनियोजन।

महादेय,

मैं/हम एतद्द्वारा यह निविदा प्रस्तुत करते है तथा यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं/हम संविदा दस्तावेज में वर्णित किए उपरोक्त कार्य तथा फेरबदल, परिवर्तन या परिवर्तन या विलोपन के परिणामस्वरूप किसी परिवर्तन तथा संविदा की शर्त के लिए उपबंधित भुगतान के तरीकों को निष्पादित करने का वचन देते हैं।

संविदा की शर्तों के अनुसार मै/हम पात्रता मापदण्ड को पूरा करते हैं। अपने विभिन्न निबंधन तथा शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम इस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम जिला षिक्षा केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए अपनी निविदा 1 वर्ष दिनों के लिए खोलने के प्रस्ताव से सहमत है। जैसा कि निविद सूचना में वर्णित किया गया है तथा यह वचन देता/देता हूँ/देते हैं कि उपरोक्त कालावधि के दौरान उसके संपूर्ण या उसके किसी भाग को, चाहे जो भी कारण हो, उपांतरित नहीं करूंगा/करेंगे। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा, चाहें किसी कारण से वापस ली जाती है तो जिला षिक्षा केन्द्र को यह अधिकार होगा कि मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई बयाना (अमानत) राषि को जप्त कर ले।

मैंने/हमने निविदा दस्तावेज में वर्णित अनुदेषों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है तथा समझ लिया है तथा मैंने/हमने संविदा दस्तावेज तथा उक्त कार्य को अवस्थिति तथा अन्य जॉच, जो संविदा के कार्य के लिए अपेक्षित है, परीक्षण कर लिया है तथा उक्त कार्य की व्याप्ति को समझ लिया है तथा उससे मैं/हम स्पष्ट रूप से सहमत हूँ/है।

मैं/हम तत्पष्चात् कोई दावा या मॉग किसी प्राधिकारी से जो मेरी/हमारी ओर से गैर समझ, गलत धारणा, अपेक्षित मॉग, अनुबंध, निर्धारित शर्त, प्रतिबंध तथा शर्तों गलती पर आधारित है, नहीं की जावेगी।

मैं/हम एतद्द्वारा डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक..................................दिनांक............................जो कि राषि रू...... ........................(रू..........................................) का है तथा जिला षिक्षा केन्द्र, देवास को देय है बयाने के पक्ष में जिस पर कोई लाभ उत्पन्न नहीं होगा, जो कि जिला षिक्षा केन्द्र द्वारा देय हो, संलग्न संसूचना मुझे/हमें भेजी जाये, या शीघ्रातिषीघ्र वापस कर दिया जाये। यदि मेरा/हमारी निविदा स्वीकृत की जाती है तो बयाना राषि अनुबंध करने के पश्चात्, जो कि सम्यक रूप से निष्पादन गारंटी विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर होगी, बयाना राषि वापस कर दी जायेगी। उस समय मेरा/हमारी निविदा जिला षिक्षा केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जायेगी। मैं हमस म्यक रूप से निष्पादन गारंटी पूर्ण करने के पश्चात् जैसा कि विहित किया गया है, अनुबंध में प्रवेष करेंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर मैं/हम हमारी बयाना राषि को जप्त करने हेतु सहमति प्रदान करते हैं। यदि कोई सूचना मेरे/हमारे पर तामील हो, यदि मुझे/हमें दी जाती है, व्यक्तिगत रूप से पत्र अग्रेषित कर या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाती है तो यह मेरे/हमारे पर तामिल की गई सूचना समझी जायेगी, जब यह अपने सामान्य कामकाज के दौरान भेजा गया समझाा जायेगा। यदि ऐसी सूचना पोस्ट द्वारा भेजी गई सूचना मानी जायेगी। जब यह मेरे/हमारे उपर अपने साधारण कामकाज क दौरान उक्त पते पर भेजी जाये लिया गया है।

मैंने/हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि एक लिखित अनुबंध मेरे/हमारे और प्राधिकारी के बीच होगा जो दोनों जो दोनों पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों का अध्ययीन होगा और यह पूरा होना तक नहीं माना जायेगा जब तक अनुबंध मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होता और जिला षिक्षा केन्द्र की ओर से प्राधिकृत अधिकारी उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

संलग्न–तकनीकी बिड प्रपत्र क्र. 1 एवं 2 ।

हस्ताक्षर/प्राधिकृत
एजेंसी के संविदाकार के हस्ताक्षरी
नाम :–.......................................................
पूर्ण पता :–
........................................................................
........................................................................
........................................................................
मोबाईल नंबर ...............................................
कार्यालय का दूरभाष क्रमांक.........................
...........................................................................

दिनांक :

गवाह के हस्ताक्षर –

(नाम तथा पते के साथ)